अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

F29(46)NRHM/MMJRK/Misc/09/7952 Dated: 31/03/2010

अधीक्षक
मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला / सैटेलाईट / उपखंड चिकित्सालय

समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

विषय – माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 2010–11 के बिन्दु संख्या 42 की क्रियान्विति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 2010–11 के बिन्दु संख्या 42 में यह उल्लेखित किया गया है कि मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेन्शनरों को भी दिनांक 01.04.2010 से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जावेगी। उपरोक्त पेन्शनधारीयों के पीपीओं पर नवीनतम फोटो लगवाये जाने के संबंध में विभाग द्वारा अलग से कार्यवाही की जा रही है तथा वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेन्शनरों की सूची को एनआईसी के माध्यम से ऑनलाईन किये जाने की कार्यवाही भी विभाग द्वारा की जा रही है।

अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेन्शनरों के पास यदि फोटोयुक्त पहचान पत्र नहीं है तो भी उनके पीपीओ के आधार पर उनका निःशुल्क ईलाज किया जावे तथा पेन्शनरों का श्रेणीवार विवरण संधारित करें।

भवदीय

(जी.एस. सन्धु)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. समस्त जिला कलक्टर।
4. प्रधानाचार्य, समस्त मेडिकल कॉलेज महाविद्यालय।
5. निदेशक, जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
6. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन